



प्रेस विज्ञप्ति

30.06.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने अरविंद जोशी एवं अन्य के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 30.06.2026 को लगभग 22.46 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों का अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया है। कुर्की की गई संपत्तियों में भोपाल के ग्राम सेमरी बाज्याफत स्थित क्रिकेट अकादमी एवं उससे संबंधित संरचनाएं (होटल एवं रिसॉर्ट), तथा उनके अधीनस्थ भूमि शामिल हैं।

ईडी ने विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त, भोपाल द्वारा स्वर्गीय अरविंद जोशी एवं श्रीमती टीनू जोशी, पत्नी स्वर्गीय अरविंद जोशी (दोनों मध्य प्रदेश कैडर के पूर्व आईएएस अधिकारी) के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच प्रारंभ की। प्राथमिकी में आरोप था कि उन्होंने अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से लगभग 41.87 करोड़ रुपये मूल्य की आय से अधिक चल एवं अचल संपत्तियां अर्जित की थीं। स्वर्गीय अरविंद जोशी एवं श्रीमती टीनू जोशी के विरुद्ध व्यापक स्तर पर आरोप, शिकायतें, सूचनाएं एवं साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जिनसे यह संकेत मिलता था कि उन्होंने अपने शासकीय पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्ट आचरण अपनाया। स्वर्गीय अरविंद जोशी ने अपराध से अर्जित आय का उपयोग कर अपने नाम के साथ-साथ अपने परिवार के सदस्यों एवं निकट सहयोगियों के नाम पर अनेक चल एवं अचल संपत्तियां अर्जित की थीं।

आगे की जांच में यह भी स्थापित हुआ कि वास्तविक लाभकारी स्वामित्व को छिपाने तथा अपराध से अर्जित दूषित परिसंपत्तियों को वैध परिसंपत्तियों के रूप में प्रदर्शित करने के उद्देश्य से बेनामी संस्थाओं, फर्जी अनुबंधों तथा बहुस्तरीय वित्तीय लेन-देन का सहारा लिया गया। जांच से यह भी स्थापित हुआ कि फेथ क्रिकेट क्लब के कार्यों का संचालन स्वर्गीय श्री अरविंद जोशी द्वारा किया जाता था, क्योंकि क्रिकेट अकादमी एवं उससे संबंधित अवसंरचना के निर्माण हेतु किया गया निवेश उनके सहयोगी राघवेंद्र सिंह तोमर के माध्यम से उनकी अवैध अर्जित संपत्ति से वित्तपोषित किया गया था।

ईडी इस मामले में पूर्व में लगभग 13.60 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को कुर्की कर चुकी है तथा माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर कर चुकी है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपराध से अर्जित शेष आय की पहचान एवं उसकी कुर्की के लिए आगे की जांच जारी है।